

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

प्राधिकृत अधिकारी - मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस कंपनी लि० कार्यालय-डेयर हाउस प्रथम तल 2 नेताजी सुभष चन्द्र बोस रोड, चैन्नई जरिये क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर।	बनाम	1. श्री मनीष झंवर पुत्र मदन लाल झंवर निवासी ई-91, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा 2. श्रीमती स्नेहलता झंवर पत्नी मनीष झंवर निवासी ई-91, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा 3. मैसर्स मनीष क्लॉथ एम्पोरियम ई-91, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा जरिये प्रो० मनीष झंवर
- प्रार्थी		-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट

प्रकरण संख्या 55/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील में जारी हुए
27-07-2022	प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में ऋणी से ऋण की वसूली हो जाने से अब आगे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः प्रकरण ड्रॉप किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट, 2002 में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा